

सरफेरी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री
APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]

वित्तीय अस्तित्यों के प्रतिभूतिकरण व पूर्णनिर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अचल संपत्तियों की ई- निलामी सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत जारी की जा रही है। इस सूचना के द्वारा उधारकर्ताओं/बंधककर्ता एवं जमानतदाताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है एवं इन संपत्तियों को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। इन संपत्तियों की विक्रय “जहाँ है जैसा है” “जो भी है” नीचे दिये कॉलामो में वर्णित तिथि में बैंक/ सुरक्षित लेनदार के देय राशि उधारकर्ताओं तथा जमानतदारो से वसुली के लिए किया जा रहा है। आरक्षित मूल्य तथा ब्याना राशि नीचे तालिका में संपत्तियों के समस्त दर्शाई गई है।

ई-नीलामी की तारीख - 16/06/2026 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक) ईएमडी जमा करने की तारीख - 15/06/2026 (रात्रि 11.59 बजे तक)

क्र. सं.	ऋणी का नाम एवं पता/ सह-कर्जदार/ जमानतदार एवं बंधक रखने वाले का नाम व पता शाखा का नाम	संपत्ति का पूरा पता	13(2) की मांग सूचना दिनांक बकाया राशि + ब्याज + अन्य शुल्क/ 13(4) की तारीख/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य (रु.) ईएमडी (रु.) बोली में वृद्धि (रु.)
1.	ऋणी- 1. श्री चंदन सिंह साहू पुत्र श्री भोज राज (कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से), ग्राम एवं पोस्ट- सोडंका, तहसील- खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ. ग.) 496661, ऋणी- 2. देवेन्द्र साहू पिता श्री चंदन सिंह साहू, ग्राम व पोस्ट- सोडंका, तहसील- खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) 496661.	मालिक/बंधककर्ता- श्री चंदन सिंह एवं गोकुल प्रसाद पुत्र भोजराम, ख. नं. 471/3 (ख नं. 471/1 का भाग) ग्राम-सोडंका, प.ह.नं. 17, तहसील- खरसिया जिला- रायगढ़। क्षेत्रफल 0.028 एकड़ में स्थित भूमि व भवन। चौहद्दी: उत्तर- सीता राम का घर, दक्षिण- कन्हाईराम का प्लॉट, पूर्व- मालिक का प्लॉट, पश्चिम- सड़क।	10/08/2018 ₹ 23,81,333.36 + उस पर ब्याज + भार 30/04/2018 से 06/07/2019 भौतिक	₹ 12,27,000/- ₹ 1,23,000/- ₹ 10,000/-
जमानतदार- 1. श्री गोकुल प्रसाद पुत्र श्री भोज राज, ग्राम व पोस्ट- सोडंका तहसील खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) 496661. जमानतदार- 2. श्री प्रेमलाल पुत्र श्री जुगल लाल, ग्राम व पोस्ट- सोडंका तहसील खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) 496661. शाखा- एआरएमबी, बिलासपुर (820700)				
2.	ऋणी- सुमित ट्रेडर्स (अपने प्रोपराइटर सुमित अग्रवाल, पिता अजय अग्रवाल के माध्यम से) दुकान का नाम- सुमित इन्फोटेक, पावर हाउस रोड, दीनदयाल मार्केट के सामने, कोरबा। प्रोपराइटर- सुमित अग्रवाल, पिता अजय अग्रवाल, म. नं. 591, मिशन रोड, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के पास, कोरबा (छ.ग.) 495677. गारंटर/बंधककर्ता- श्री अजय अग्रवाल, म.नं. 591, मिशन रोड, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के पास, कोरबा (छ.ग.) 495677. शाखा- एआरएमबी, बिलासपुर (820700)	मालिक- अजय अग्रवाल, म. नं.- 591, मिशन रोड, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के पास, कोरबा, खसरा नं. 732/26, क्षेत्रफल - 1526 वर्ग फुट। चौहद्दी: पूर्व- प्रमाण की भूमि, पश्चिम- सड़क, उत्तर- शंकर की भूमि, दक्षिण- मंगल की भूमि।	27/05/2021 ₹ 28,37,000.00 + उस पर ब्याज + भार 28/05/2021 से 30/10/2021 सांकेतिक	₹ 42,65,000/- ₹ 4,30,000/- ₹ 10,000/-

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: एआरएमबी बिलासपुर, 07752-310118, मो.बा. 7976331048

महत्वपूर्ण नोट: ऊपर दिए गए सभी **IPs** से संबंधित सभी सरकारी बकाया (प्रॉपर्टी, पानी, बिजली आदि) सभी संबंधित सरकारी कार्यालयों से खरीदार द्वारा वहन किए जाएंगे।

नोट: 1. नीलामी “ई-ऑक्शन” पोर्टल <https://baanknet.com> के माध्यम से ऑनलाइन होगी, 2. इच्छुक बोली लगाने वालों/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके पोर्टल (<https://baanknet.com>) पर रजिस्टर करें। इसके अलावा, उनसे आवश्यक **KYC** डॉक्यूमेंट अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार जब ई-ऑक्शन सेवा प्रदाता द्वारा **KYC** डॉक्यूमेंट वेरिफाई हो जाते हैं (इसमें 2 कार्य दिवस लग सकते हैं), तो इच्छुक बोली लगाने वालों/खरीदारों को **EMD** की तारीख **15/06/2026** को **11.59 बजे PM** से पहले पोर्टल पर अपने ग्लोबल **EMD** वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके **EMD** राशि ट्रांसफर करनी होगी। रजिस्ट्रेशन, **KYC** डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और वॉलेट में **EMD** ट्रांसफर नीलामी की तारीख से काफी पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए।

नियम और शर्तें: बिक्री सिक्चोरिटी डेरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों और शर्तों में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी: 1. प्रॉपर्टी “जहाँ है जैसा है” “जो भी है आधार पर” बेची जा रही है। 2. ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 3. बिक्री मेरे द्वारा वेबसाइट <https://baanknet.com> पर दिए गए ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-ऑक्शन 16/06/2026 को सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक की जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> और www.pnbindia.in देखें।

नोट:- इच्छुक बोली लगाने वालों को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड खुद बनाना होगा और इसमें कम से कम 2 दिन का समय लगेगा, इसलिए बोली लगाने वाले से अनुरोध है कि वह अंतिम तारीख से पहले अपना यूजर आईडी बना लें। **खास नोट:** सफल बोली लगाने वाले को बोली की रकम का 25% (पच्चीस प्रतिशत), **EMD** रकम घटाकर, उसी दिन या अगले वर्किंग/दिन तक जमा करना होगा और बाकी रकम नीलामी की तारीख से 15 दिनों के अंदर एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक द्वारा जारी बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में “**अथराइज्ड ऑफिसर, पंजाब नेशनल बैंक, ' (अकाउंट का नाम) भुगतान "बिलासपुर" स्थान के नाम पर देना होगा। अगर ऊपर बताई गई रकम तय समय में जमा नहीं की जाती है, तो सफल बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई रकम बैंक जब्त कर लेगा और अथराइज्ड ऑफिसर को प्रॉपर्टी की नई नीलामी/बिक्री करने की आजादी होगी और डिफॉल्ट करने वाले बोली लगाने वाले का जब्त की गई रकम और प्रॉपर्टी पर कोई दावा नहीं होगा।**